संख्या-651/2025/1112/22-2-2025-17(891)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 जून, 2025

विषयः- जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोतीलाल पुत्र श्री मन्नी, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-19613/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-25.04.2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मोतीलाल पुत्र श्री मन्नी, परेहटा, थाना-सिसोलर, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा मुकदमे की रंजिश को लेकर दिनांक 24.06.1980 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-48/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर द्वितीय के दण्डादेश दिनांक 17.05.1982 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.09.2012 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनाक 12.12.2018 तक अपरिहार 06 वर्ष, 04 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 01 माह 12 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करना, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किय जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी को मा० सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.12.2018 तक अपरिहार 06 वर्ष, 04 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 01 माह, 12 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोतीलाल (बन्दी संख्या-95/2012) पुत्र श्री मन्नी, निवासी जनपद-हमीरपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-651/2025/1112(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को क्रिमिनल अपील संख्या-2152/2013 शिवनरायन उर्फ बद्री व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2025 के संदर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।